डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 257] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 नवम्बर 2001—कार्तिक 21, शक 1923

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

स्वर्गीय चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति फेलोशिप के लिए नियम

रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

1. फेलोशिप का नाम 'स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता फेलोशिप' होगा.

2. फेलोशिप प्रतिवर्ष एक पत्रकार को प्रदान की जाएगी.

3. फेलोशिप के लिए 2 लाख रुपये मानदेय दिया जाएगा.

4. फेलोशिप के लिए आवेदन का क्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा.

5. फेलोशिप के अन्तर्गत प्रस्तुतीकरण की भाषा हिन्दी होगी.

6. फेलाशिप का विषय का चयन आवेदक द्वारा स्वयं किया जाएगा. विषय चयन में लोकहित से जुड़े गंभीर और महत्वपूर्ण विषयों के अन्वेषण और शोध कार्य के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.

7. फेलाशिप के लिये प्रतिष्ठित समाचार-पत्र के सम्पादकों तथा संचार माध्यमों से संबंधित संस्थाओं से भी अनुरोध किया जाएगा.

8. फेलोशिप के लिए आवेदन-पत्र मय नाम, पता, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वर्तमान नियुक्ति का विवरण और शोध की रूपरेखा सहित संचालक, जनसंपर्क, जनसंपर्क चौराहा, छोटापारा, छत्तीसगढ़, रायपुर को भेजना होगा. फेलोशिप प्राप्त करने वाले पत्रकार को अपनी संस्था से कम से कम एक वर्ष का अवकाश लेकर फेलोशिप से संबंधित विषय पर अन्वेषण का कार्य पूरा करना होगा.

9. फेलोशिप के चयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा. संचालक, जनसंपर्क इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

10. संचालक जनसंपर्क द्वारा प्रतिवर्ष नवम्बर माह में फेलोशिप के लिए प्रस्ताव प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों और संचार माध्यमों से संबंधित संस्थाओं से प्राप्त किए जाएंगे, इसके लिए समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा.

11. चयन समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा पर शासन द्वारा फेलोशिप स्वीकृत की जाएगी.

12. फेलोशिप के लिए गठित समिति अपनी ओर से फेलोशिप के लिए किसी पत्रकार के नाम का सुझाव भी दे सकेगी.

13. फेलोशिप के लिए संबंधित पत्रकार को किसी भी राज्य शासन अथवा भारत शासन की अधिमान्यता तथा न्यूनतम पांच वर्ष का पूर्णकालिक पत्रकारिता का अनुभव होना अनिवार्य है.

14. फेलोशिप के लिए स्वीकृत की जाने वाली 2 लाख रुपये की मानदेय राशि के 50 प्रतिशत राशि का भुगतान शोध-पत्र प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा. शेष आधी राशि में से 50 हजार रुपये की राशि शोध प्रकाशन के लिए सुरक्षित रखी जाएगी.

15. पत्रकार द्वारा किए गए शोध कार्य पर सर्वाधिकार छत्तीसगढ़ शासन का होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.